संख्या-2/2023/आई/317142/चौरासी-3-2023-001-159-2023

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 मई, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-021 के लेखाशीर्षक 2075- विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42स्था0एस0/बत्तीस-2023 दिनांक 03-04-2023 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय में वर्ष 1988 के पूर्व सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों आदि पर होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-021 लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0-62.08 लाख(रूपये बासठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख आठ हजार मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा, ताकि राज्य स्तर पर कैशफलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके पूर्व वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाये।

(4) आय-व्ययक में प्राविधानित राशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिशासी निदेशक/वित्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये अधिशासी निदेशक/वित्त आधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगें तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता मामले अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाया जाय।

(6) किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में शासनादेश संख्या-बी0-2826/दस-1994-100(03)/88 दिनांक 06-06-1994 तथा तत्संबंधी अनुवर्ती शासनादेशों द्वारा लगाये गये प्राविधानों का कडाई से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा तदनुरूप ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(7) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(8) जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय उसमें स्पष्ट रूप से सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाय।

(9) उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) बी0एम0-18 तथा बी0एम0-3 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियमित रूप से वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 तथा उपभोक्ता मामले अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाये। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके संबंध में कैलेण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-बी0-1-3318/दस-22/98, दिनांक 28-07-1998 में किया गया है।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या' 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-62,08,000 (रूपये बासठ लाख आठ हजार मात्र) को चाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-021 लेखाशीर्ष 2075008000300 उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2/2023/आई/317142/चौरासी-3-2023-001-159-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट),प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अधिशासी निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
4. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियत्रंक, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 /खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।